

सेवाकाल में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सेवायोजन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।

द्वारा,

उचित माध्यम,

.....
.....
.....

1. अभ्यार्थी का पूरा नाम—

2. पिता/पति का पूरा नाम—

3. पदनाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं वेतनमान—

4. अभ्यार्थी की जन्मतिथि अंको में —

एवं आयुवर्ष.....माह.....दिन.....

5. आरक्षण श्रेणी— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अन्य.....

(प्रमाण पत्र संलग्न करें, विकास खण्ड का नाम सहित)

6. मूल निवास का पता—

7. पत्र व्यवहार का पता—

8. गृह जनपद—

9. शैक्षिक योग्यता (प्रशिक्षित एवं अन्य योग्यता सहित प्रमाणित प्रति संलग्न)

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण	प्राप्तांक	प्राप्त श्रेणी	पूर्णांक	प्रतिशत	शिक्षण संस्था का नाम	विशेष विवरण
1									
2									
3									
4									
5									

10. क्या मृतक की आकस्मिक मृत्यु हुई है—

11. सेवारत रहते हुए मृतक के माता/पिता का पूरा नाम, पदनाम, संस्था/कार्यालय एवं जनपद का नाम जिसमें सेवारत रहते हुए कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हुई है—

12. मृत द्वारा अविरल पूर्ण की गयी सेवा की अवधि

.....सेवा पूर्ण हुईवर्ष.....माह.....दिन.....

13. मृतक की आकस्मिक मृत्यु का दिनांक—

14 क्या मृतक के सन्बन्ध में माननीय न्यायालय में वाद योजित है—

15 क्या अभ्यार्थी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधिन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी नियम के अधीन पहले से सेवायोजित है

16 क्या अभ्यार्थी अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सेवायोजन का लाभ मिला है —

17 अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण/हिन्दी टंकण)—

18 अन्य विवरण यदि हो—

19 सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण संख्या व पंजीकरण दिनांक—

संलग्न— संलग्नों की संख्या अंको एवं शब्दों में
संलग्नों का विवरण—

अभ्यार्थी के पठनीय हस्ताक्षर

(दिनांक सहित)

एवं पता.....

.....

.....

घोषणा

मैंएतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम और विष्वास में मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनायें सही हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

अभ्यार्थी के पठनीय हस्ताक्षर

21 जिस संस्था/कार्यालय में सेवाकार में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हुई है उस संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति दिनांक सहित मोहर—

22. खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति —

23. जिला शिक्षा अधिकारी/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) की संस्तुति—

सेवा लाभ न मिलने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि स्व: श्री/श्रीमती.....
प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय/इण्टर कॉलेजजनपद
.....

में पदनामके पद पर कार्यरत थे/थी। सेवारत रहते हुए स्व: श्री/श्रीमती.....
.....

.....की आकस्मिक मृत्यु दिनांक.....को हो गयी थी। इससे पूर्व स्व: श्री/श्रीमतीके वारिसाद प्रमाण—पत्र के अनुसार किसी भी आश्रित को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सेवा लाभ नहीं दिया गया है।

प्रथम बार उनके वारिसान प्रमाण—पत्र के आधार पर आवेदन श्री/श्रीमती/कु0.....
.....को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सेवा का लाभ दिया जायेगा।

सेवारत मृत्यु प्रमाण-पत्र

प्रामाणित किया जाता है कि, स्व: श्री/श्रीमती.....
प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/इण्टर कॉलेज.....जनपद.....
मे पदनाम.....पर दिनांक.....तक कार्यरत थे।
सेवारत रहते हुए स्व: श्री/श्रीमती.....की आकस्मिक मृत्यु दिनांक.....
.....को हो गयी थी। स्व: श्री/श्रीमती.....पदनाम.....पर
राजकीय सेवा मेंवर्ष.....माह.....दिन.....की अविरल सेवा पूर्ण कर चुके।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मैं श्री/श्रीमती/कु0.....पिता/पति
श्री.....निवासी ग्राम.....
.....जनपद(उत्तराखण्ड) वर्तमान में किसी भी केन्द्रीय अथवा राज्य
सरकार/परिषदीय निगम अथवा अन्य सेवा में कार्यरत नहीं हैं/हूँ।

प्रथम बार मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन कर रही हूँ।

नाम व हस्ताक्षर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मैं श्री/श्रीमती/कु0.....पिता/पति
श्री.....निवासी ग्राम.....
.....जनपद(उत्तराखण्ड) वर्तमान में किसी भी केन्द्रीय अथवा राज्य
सरकार/परिषदीय निगम अथवा अन्य सेवा में कार्यरत नहीं हैं/हूँ।

प्रथम बार मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन कर रही हूँ।

नाम व हस्ताक्षर